न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 289 / 23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/ 314)

भरतलाल दत्तक बदरी पत्नी दिनेश जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर जिला भरतपुर।

..............अपीलान्ट

बनाम

1. मुनेशी पुत्री बदरी पत्नी हरिप्रसाद जाति मीना नि0 जगरामपुरा तह0 बामनवास।
2. उगन्ती पत्नी दिनेश कुमार जाति मीना निवासी भक्तोकापुरा तह0बामनवास।
3. सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर।

.... **रैस्पोडेन्ट**

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 22.01.2014 व तहसीलदार वजीरपुर का निर्णय दिनांक 06.05.2013 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 741 दिनांक 12.08.2011

उपस्थितिः–

1. श्री श्याममोहन शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 28.03.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधापुर के निर्णय दिनांक 22.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 28.07.2011 से आराजी खसरा नम्बर 3965 रकबा 0.15 है0 भूमि पर से खातेदार रैस्पो0 1 व 2 मुनेशी व उगन्ती पुत्री बद्री मीना निवासी पीलोदा को वेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 28.03.2012 के द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.07.2011 को निरस्त कर पुनः जांच हेतु तहसीलदार वजीरपुर को रिमाण्ड किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार वजीरपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 06.05.2013 पारित करते हुये निर्णय दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.03.2012 में तहसीलदार गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 28.07.2011 में भूमि को सिवायचक दर्ज करने की सीमा तक खारिज किया जाता है। अतः उक्त आदेश की पालना में खातेदारी भूमि से सिवायचक किये जाने के संबंध में खोला गया

28/3/2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नामान्तरकरण संख्या 741 दिनांक 12.08.2011 स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा आराजी खसरा नम्बर 3965 रकबा 0.15 है0 स्थित ग्राम पीलौदा को सिवायचक से खातेदारी दिये जाने हेतु उगन्ती व मुनेशी पुत्रीयान बद्री मीना के नाम पूर्व स्थिति में लाने के लिये सिवायचक से खातेदारी उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में पारित आदेश दिनांक 06.05.2013 के खिलाफ अपीलान्ट भरतलाल के द्वारा तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2014 पारित करते हुये निर्णय दिया कि अपीलान्ट को अपील पेश करने को कोई अधिकार नहीं है अपीलान्ट खातेदार नहीं हाने से पीडित पक्षकार भी नहीं है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को सारहीन मानकर खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2014 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा उक्त द्वितीय अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2014 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.07.2011 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.03.2012 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से दिनांक 19.11.2022 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया, परन्तु अपीलान्ट को निर्देश दिए कि वे स्वयं को तहसीलदार के न्यायालय में बतौर पक्षकार दर्ज कराकर अपना पक्ष रख सकते हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त आदेश के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.03.2012 जिसके द्वारा प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिमाण्ड किया गया था, पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुनने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन तहत न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण के संबंध में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आशवस्त किया गया था कि पत्रावली प्राप्त होने पर अपीलान्ट को सूचित कर दिया जावेगा, लेकिन तहसीलदार कार्यालय से किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद राज्य सरकार के

18/3/2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश से वजीरपुर तहसील घोषित होने के कारण उक्त प्रकरण को वजीरपुर तहसील कार्यालय में भिजवा दी गई। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना व अपीलान्ट का पक्ष जाने बिना निर्णय दिनांक 06.05.2013 को पारित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 22.01.2014 में विवादित भूमि में अपीलान्ट का कोई अधिकार नहीं होने व खातेदार नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि में अपीलान्ट की गुवाडी बनी हुई है जिसमें अपीलान्ट रिहायश बनाकर निवास कर रहा है। अपीलान्ट बदरी का गोदपुत्र है, परन्तु रैस्पोडेन्टस ने मुकदमेवाजी में उलझाकर चालाकी से विवादित जमीन को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से तहत न्यायालय से प्राप्त कर लिये हैं। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से इस आशय की रिपोर्ट तलब की गई थी कि मौके पर वास्तविक रूप से किस का कब्जा काश्त है, लेकिन पटवारी हल्का में वास्तविक कब्जे बाबत कोई अंकन अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं किया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर गौर किये बिना आदेश दिनांक 06.05.2013 को पारित किया गया है। उक्त आदेश की अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने भी तहत न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की, बल्कि यह कहकर कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं था। उसका कोई आधार व अधिकार नहीं है और ना ही पीडित पक्षकार है। इस आधार पर निर्णय दिनांक 22.01.2014 के द्वारा अपील खारिज कर दी गई है। यदि अपीलान्ट पीडित पक्षकार नहीं होता तो राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित पूर्ण निर्णय दिनांक 28.03.2012 के विरूद्ध अपील पेश क्यों करता। इसके अलावा अपीलान्ट को अपना पक्ष तहत अदालत में प्रस्तुत करने हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2012 में दिये थे। इसके बाबजूद न तो अदालत मातहत द्वारा सुना गया और न ही अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर किया गया। उक्त प्रकरण में वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का मृतक रामोती की आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा है तथा अपीलान्ट द्वारा मृतक रामोती के समस्त किया कर्म प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार किये गये थे, रैस्पोडेन्ट अपने ससुराल में रहती है। उसका विवादित भूमि पर किसी प्रकार को कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपने निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 741 दिनांक 12.08.2011 स्वतः ही निरस्त होना माना जावेगा यह टिप्पणी अंकित की है जबकि विधि का स्पष्ट सिद्धान्त है कि एक बार नामान्तकरण खुलने के उपरानत सक्षम न्यायालय द्वारा जरिये अपील या रैफरेन्स के माध्यम से ही दुरूस्ती हो सकती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्व में पारित निर्णय के अनुसरण में कार्यवाही नहीं कर जल्दबाजी में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल आर एक्ट के तहत तहसीलदार द्वारा भी कार्यवाही की गई थी, क्योंकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा रहवास हेतु मकान बनाया हुआ है। जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशील वर्ष 2068 की प्रति से हो रही है। जिसमें अपीलान्ट को खसरा नंबर 3965 के रकबा 0.15 में पक्का निर्माण एवं पशुवाड़ा बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की गई है। इसलिए उक्त प्रकरण में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। अपीलान्ट की ओर से खसरा परिवर्तनशील की नकल भी पेश की गई थी। इसके अलावा सक्षम न्यायालय में आज भी वाद विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 29.03.2014 वास्ते साक्ष्य नियत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार वजीरपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.05.2013 व अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.01.2014 निरस्त किया जावे व विवादित भूमि को अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2014 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट की ओर से बहस में बताए गए सभी तथ्यों का विवेचन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें यह माना है कि अपीलान्ट को वजीरपुर के तहसील कार्यालय में उपरोक्त प्रकरण के लम्बित नहीं होने के बारे में जानकारी नहीं होना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तहसील के पत्र दिनांक 25.04.2013 तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.05.2013 में वादग्रस्त भूमि तहसील वजीरपुर में होना स्पष्ट है। इसी दस्तावेज को अपीलार्थी ने अपने पक्ष में माना है। भूमि सिवायचक होने से पूर्व में भी अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार नहीं था। इसलिए उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं होने व अपीलार्थी को खातेदार नहीं होने के कारण पीडित पक्षकार नहीं मानते हुए अपील खारिज की गई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही चलने का कोई दस्तावेज न तो अदालत मातहत में पेश किया है और न ही अदालत हाजा में पेश किया है। दूसरी ओर तहसीलदार वजीरपुर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय दिनांक 28.03.2012 के कम में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.05.2013 को पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट ने रामोती के द्वारा गोद लिये जाने का उल्लेख किया है, परन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं। एक ओर अपीलान्ट स्वयं को रामोती के द्वारा गोद लिये जाने का बता रहे हैं और दूसरी ओर अपने मूल पिता की खातेदारी में स्थित भूमि में से अपना हिस्सा ले रहे हैं। एक ही व्यक्ति दो जगह अधिकार नहीं रख सकता है। केवल मात्र विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के आधार पर ही कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। चूंकि तहसीलदार वजीरपुर व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये रिकार्ड व दस्तावेजात का पूर्ण अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.05.2013 व 22.01.2014 पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार वजीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2013 इसलिए क्षेत्राधिकार के बाहर है, क्योंकि उक्त निर्णय में तहसीलदार वजीरपुर ने नामान्तकरण संख्या 741 दिनांक 12.08.2011 को स्वतः ही निरस्त माने जाने का आदेश दिया है। जबकि उक्त नामान्तकरण को निरस्त किये जाने के बारे में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.03.2012 में कोई निर्देश नहीं दिये गये। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2014 को पारित करने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों का ध्यान नहीं रखा। अतः इस आधार पर दोनों मातहत अदालतों के निर्णय निरस्तनीय है।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा ग्राम पीलौदा के विवादित खसरा नंबर 3965 रकबा 0.15 है0 जो कि मुनेशी पुत्रीयान बद्री जाति मीना के नाम खातेदारी में था, को बिना रूपान्तरित कराये अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने पर पटवारी हल्का की ओर से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर खातेदारान के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसमें खातेदारान को नोटिस दिया जाकर अपना पक्ष रखे जाने की अपेक्षा की गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा निर्णय दिनांक 28.07.2011 के द्वारा खसरा नंबर 3965 रकबा 0.15 है0 के खातेदारान उगन्ती, मुनेशी पुत्रीयान बद्री मीना को अतिकमी मानकर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

25/3/2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसीलदार गंगापुर सिटी के उपरोक्त आदेश दिनांक 28.07.2011 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट उगन्ती व मुनेशी के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 28.03.2012 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित आदेश में भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने की सीमा तक खारिज कर प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पटवारी से मौके की स्पष्ट रिपोर्ट मय अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य ली जाकर पुनः नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.03.2012 की अपीलान्ट की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील संख्या 98/2012 दायर की गई। जिसमें अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 19.11.2012 के द्वारा अपीलान्ट को यह निर्देश देते हुए कि वे तहसीलदार के न्यायालय में बतौर पक्षकार दर्ज कराकर अपना पक्ष रख सकते हैं, के निर्देशों के साथ अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज करने का आदेश दिया गया।

तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पत्र क्रमांक 1993–95 दिनांक 06.12.2012 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण वजीरपुर तहसील के क्षेत्राधिकार में होने के कारण राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 19.11.2012 के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इस पत्र की प्रति अपीलान्ट भरतलाल को भी प्रेषित की गई। गंगापुर सिटी से उपरोक्त प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.01.2013 को तहसीलदार वजीरपुर के न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार वजीरपुर को दिनांक 04.05.2013 की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 3965 रकबा 0.15 है0 राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। उक्त खसरा नंबर की मौके पर चारदीवारी बनी हुई है एवं लगभग 0.05 है0 रकबे पर पक्का निर्माण बना हुआ है। पूर्व में उक्त आराजी खसरा नंबर उगन्ती, मुनेशी पुत्रीयान बद्री मीना के नाम खातेदारी में दर्ज था। वर्तमान में उक्त प्रकरण में कोई स्थगन आदेश नहीं होना बताया। रिपोर्ट के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 की प्रति भी प्रस्तुत की गई। रैस्पोडेन्ट मुनेशी व उगन्ती द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि उनके द्वारा जो चारदीवारी का निर्माण कराया गया है। वह 1/50 हिस्से से कम पर है, जो कि कृषि सुधार की श्रेणी में आता है। इसलिए भूमि रूपान्तरण नहीं करवाया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर तहसीलदार वजीरपुर द्वारा निर्णय दिनांक 06.05.2013 पारित किया गया। जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.03.2012 जिसमें

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.07.2011 में भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने तक खारिज किया गया है, का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश की पालना नामान्तकरण स्वतः ही खारिज होने का माना है। आराजी खसरा नंबर 3965 रकबा 0.15 है0 को पुनः रैस्पोडेन्टस की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। अपीलान्ट की ओर से न तो तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में और न ही तहसीलदार वजीरपुर के न्यायालय में किसी प्रकार का कोई अपना पक्ष रखा गया, वरन् तहसीलदार वजीरपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.05.2013 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में पुनः अपील प्रस्तुत की, जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2014 पारित किया गया है। उक्त निर्णय में यह माना है कि विवादित भूमि के सिवायचक में दर्ज होने से पूर्व अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं था। इसलिए अपील पेश करने का कोई आधार व अधिकार नहीं होने तथा अपीलार्थी के खातेदार नहीं होने से पीडित पक्षकार भी नहीं मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का आदेश दिया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2014 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता इसलिए नजर नहीं आती है, क्योंकि विवादित भूमि जो कि पूर्व में रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज थी, के संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा रैस्पोडेन्टस के विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही की थी। उक्त कार्यवाही के संबंध में रैस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर निर्णय दिनांक 28.03.2012 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर खातेदारी में दर्ज भूमि को सिवायचक में दर्ज किये जाने की सीमा तक खारिज किया था तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित किया था। तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा उपरोक्त प्रकरण तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाये जाने पर रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.05.2013 पारित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर विवादित भूमि का अपीलान्ट खातेदार नहीं होने तथा पीडित पक्षकार नहीं होना मानकर अपील खारिज की है, जो कि उचित है। जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में उसके विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही चली है या विवादित भूमि के खातेदार द्वारा उसे गोद लिये जाने के कारण विवादित भूमि के संबंध में पारित किये गये निर्णय से प्रभावित पक्षकार है तो इसके लिए पृथक से सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु उक्त

18/3/2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा रैस्पोडेन्टस की खातेदारी में दर्ज भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही को अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने के बाद तहसीलदार वजीरपुर द्वारा कार्यवाही की जाकर पुनः विवादित भूमि को रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार वजीरपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.05.2013 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.01.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर